



دفتر مجلس انصار اللہ بھارت

Office Of The Majlis Ansarullah Bharat

Mohallah Ahmadiyya Qadian-143516, Distt.Gurdaspur (Punjab) INDIA



Mob.9682536974,E-Mail :ansarullah@qadian.in

Khulasa Khutba-12.05.2023

محلہ احمدیہ قادیان ۱۴۳۵۱۶ ضلع: گورداسپور (پنجاب)

अल्लाह के आदेश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्दर आचरण और जमाअत की परंपराओं की रोशनी में मजलिस-ए-मुशावरत के महत्त्व का बयान तथा ओहदेदारों एवं शूरा के दायित्वों के बारे में उपदेश।

सारांश ख़ुत्व: जुअ: सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हजरत मिर्जा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीह अल-खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अजीज़, बयान फ़र्मात 12 मई 2023, स्थान मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद यू. के।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. مَا لِكَ يَوْمِ الدِّينِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

فِي مَآرِحِ حَمَّةٍ مِنْ اللّٰهِ لَنْتَ لَهُمْ. وَلَوْ كُنْتَ فَاتِحًا لَاحْتِجَابٍ لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

तशहहद तअव्वुज़ तथा सूः फ़ातिहः एवं सूः आले इमरान की आयत- अतएव अल्लाह की विशेष कृपा के कारण तू उनके लिए विनम्र हो गया तथा यदि तू कटु स्वभाव एवं कठोर हृदय वाला होता तो वे अवश्य ही तेरे आस पास से दूर भाग जाते। अतः उनको क्षमा कर दे तथा उनके लिए क्षमा याचना कर तथा प्रत्येक महत्त्व पूर्ण मामले में उनसे विचार विमर्श कर। अतएव जब तू कोई निर्णय कर ले तो फिर अल्लाह पर ही भरोसा कर, निःसन्देह अल्लाह भरोसा करने वाले से स्नेह रखता है।

इस आयत का अनुवाद है- अतएव अल्लाह की विशेष कृपा के कारण तू उनके लिए विनम्र हो गया तथा यदि तू कटु स्वभाव एवं कठोर हृदय वाला होता तो वे अवश्य ही तेरे आस पास से दूर भाग जाते। अतः उनको क्षमा कर दे तथा उनके लिए क्षमा याचना कर तथा प्रत्येक महत्त्व पूर्ण मामले में उनसे विचार विमर्श कर। अतएव जब तू कोई निर्णय कर ले तो फिर अल्लाह पर ही भरोसा कर, निःसन्देह अल्लाह भरोसा करने वाले से स्नेह रखता है।

इन दिनों विभिन्न देशों में जमाअत की मजलिसे शूरा आयोजित हो रही हैं, कुछ देशों में हो चुकी हैं तथा कुछ देशों में होने वाली हैं। शूरा के महत्त्व तथा ओहदेदारों के कर्तव्यों के बारे में पहले भी ध्यान दिला चुका हूँ। कई वर्ष बीत जाने के बाद उचित समझा कि आज इसके बारे में फिर अल्लाह तआला के आदेश, आँहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्दर आचरण तथा जमाअती प्रथाओं एवं रीति के अनुसार कुछ कहूँ। जहाँ मजलिसे शूरा का आयोजन हो चुका है वहाँ के प्रतिनिधि भी इस बातों से लाभान्वित हो सकते हैं जो प्रतिनिधियों के हवाले से शूरा के मेम्बरों को याद रखनी चाहिए क्योंकि मजलिसे शूरा की सिफ़ारिशें तथा खलीफ़ः

ए वक्त के उन पर निर्णय लेने के बाद ही मेम्बरान के कुछ दायित्व आरम्भ होते हैं। उनके अनुसार अमल करना तथा अपनी भूमिका निभाना हर एक मेम्बर शूरा का कर्तव्य है।

जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें जहाँ इस बात की पुष्टि की गई है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला की विशेष रहमत से अपनी उम्मत के लिए अत्यंत विनम्र हृदय रखते थे वहाँ इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि जिनके हवाले आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाना है और आप स. की पेशगोईयों के अनुसार आप स. की गुलामी में आने वाले मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मिशन को पूरा करना है, उनका भी यह काम है कि प्यार मुहब्बत तथा विनयता के साथ काम करें।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि यदि नमी न दिखाई, कठोर हृदय दिखाया तथा क्रोध में आने वाला हुआ तो ये लोग दूर हो जाएँगे। अतः अल्लाह तआला क्षमा करने, क्षमा याचना करने तथा विचार विमर्श करने का आदेश देता है। अतएव इस नियम एवं शिक्षा के आधीन मजलिसे शूरा आयोजित की जाती है। जैसा कि नाम से विदित होता है कि ये निर्णय करने वाली संस्थाएँ नहीं बल्कि सुझाव देने वाली संस्था है इस लिए फ़रमाया कि विचार विमर्श के बाद जो निर्णय तू करे, उस पर अल्लाह तआला पर भरोसा करते हुए अमल कर जिसके बाद अल्लाह तआला उसके परिणाम भी अत्यधिक बरकतों वाले निकालेगा।

भरोसा करने का सर्वोत्तम उदाहरण आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्तित्व में दिखाई देता है। आप स. को अनेक समस्याओं में अल्लाह तआला की ओर से सीधे मार्ग दर्शन मिलता था परन्तु उन समस्याओं में आप स. अवश्य विचार विमर्श फ़रमाते थे जिनमें अल्लाह तआला का स्पष्ट निर्देश न होता था। आप स. का यह अमल और अल्लाह तआला का यह आदेश हमें बताने के लिए है कि ओहदेदारों के जमाअत के लोगों के साथ कैसे व्यवहार होने चाहिए तथा हमें भी परस्पर विमर्श से काम करने चाहिए। अल्लाह तआला का यह एहसान है कि अहमदिया जमाअत को ख़िलाफ़त का निज़ाम प्रदान किया है इस लिए ख़लीफ़ ए वक्त भी अल्लाह तआला के आदेश तथा सुन्नते नबवी स. के अनुसार दुनिया की जमाअतों से उनकी परिस्थितियों के अनुसार मशवरे लेता है। यदि अल्लाह तआला चाहता तो हर एक मामले में आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्ग दर्शन फ़रमाता परन्तु आप स. को कुछ बातों में मशवर एवं सहयोग का आदेश देकर और आप स. का कुछ बातों में मशवरा लेना वास्तव में हमें सही रास्ते पर चलाने, आपस के मशवरे एवं सहयोग से काम करने और उम्मत में एकता पैदा करने के लिए है।

इस बारे में एक हदीस से इसकी व्याख्या होती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी. रिवायत करते हैं कि जब **شاورهُمُ فِي الْأَمْرِ** की आयत नाज़िल हुई तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यद्यपि अल्लाह तथा उसका रसूल इससे निश्चित हैं परन्तु अल्लाह तआला ने इसे मेरी उम्मत के लिए रहमत का कारण बनाया है। अतः इनमें से जो मशवरे करेगा वह सत्य मार्ग एवं हिदायत से वंचित नहीं रहेगा तथा जो मशवरा नहीं करेगा वह अपमान से न बच सकेगा। अतः आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन मशवरों से निश्चित थे और हैं किन्तु इसके बावजूद आप स. ने मशवरे लिए ताकि उम्मत के सामने वे नमूने क़ायम फ़रमा दें जिससे उम्मत सदैव अल्लाह तआला की रहमत से अंश प्राप्त करती रहे तथा सदैव सत्यपथ एवं हिदायत के रास्तों पर चलती रहे और अपमान से बचती रहे।

अतएव हम पर यह अल्लाह तआला का विशेष उपकार है कि हमारे अन्दर शूरा का निज़ाम जारी है। अतः हर अहमदी को सामान्य रूप में तथा हर एक शूरा के मेम्बर को विशेष रूप में इसके महत्त्व को समझते हुए अल्लाह तआला का आभारी होना चाहिए कि उसने हमारे लिए सत्य मार्ग एवं हिदायत का साधन पैदा फ़रमा दिया।

आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान्य रूप से मशवरे लेने के तीन तरीके थे जिनको ख़लीफ़ाओं ने भी जारी रखा और हज़रत मसीह मौऊद अलै ने भी इस पर अमल किया। एक यह कि जब मशवरे के योग्य कोई मामला आता तो एक व्यक्ति के ऐलान के बाद लोग एकत्र हो जाते और फिर जो सुझाव अथवा मशवरा होता उस पर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला फ़रमा देते। दूसरा तरीका यह था कि जिन लोगों को आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करने के योग्य समझते, केवल उन्हें ही बुलाते और फिर उन कुछ लोगों की मजलिस से मशवरा लिया जाता। तीसरा तरीका यह था कि जहाँ आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते कि दो आदमी भी जमा नहीं होने चाहिएँ, वहाँ आप स. अलग अलग बुला कर मशवरा लेते। हज़रत अबू बकर रज़ी. बयान करते हैं कि मैंने आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अधिक किसी को अपने साथियों से मशवरा लेने वाला नहीं पाया। अतः यह सब कुछ इस लिए था कि वह नबी स. जिसको सीधे रूप में अल्लाह तआला का मार्ग दर्शन प्राप्त था जब मशवरा लेता है तो तुम लोगों को कितना अधिक मशवरे के महत्त्व को समझने का प्रयास करना चाहिए।

बदर के मैदान में भी सहाबा रज़ी. ने आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा देने के बाद उसके अनुसार कार्य भी किया तथा अपनी जान की बाज़ी भी लगा दी। अतः हमारे शूरा के मेम्बरान को भी याद रखना चाहिए कि सबसे पहले अपने आपको तय्यार करें कि हमने मशवरों और निर्णय की स्वीकृति के बाद उसके अनुसार कार्य करने के लिए हर प्रकार का बलिदान देना है। आप उस संस्था के मेम्बर हैं जो ख़िलाफ़त के निज़ाम तथा जमाअत के निज़ाम की सहायक संस्था है। सुझाव देने वालों के सुझाव नेक धारणा एवं तक्वा के उच्चतम स्तरों के अनुसार होने चाहिएँ। अतः इस दृष्टि से मशवरा देने वालों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वे निरीक्षण करें कि उनका तक्वा किस स्तर का है। हज़रत अली रज़ी. की एक रिवायत तो यहाँ तक व्याख्या करती है, आपने फ़रमाया कि *شور الفقهاء والعابدين* अर्थात्- समझदार एवं इबादत करने वाले लोगों से मशवरा करो, हर एक से नहीं। अतः यह स्तर है प्रतिनिधियों का। इसमें उन लोगों के लिए भी नसीहत है जो शूरा के प्रतिनिधियों को चुनते हैं कि अपने में से ऐसे लोगों का चुनाव करें जो प्रत्यक्षतः सुझाव देने में सक्षम हों, दीन के ज्ञान में अच्छे हों तथा इबादत के स्तर भी अच्छे हों। जहाँ भी इस स्तर को सामने रखते हुए प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों के सुझाव में, मैंने देखा है कि एक स्पष्ट अन्तर नज़र आ रहा होता है। ख़लीफ़: ए वक्त यही समझता है कि लोगों ने जब अल्लाह तआला के आदेशानुसार अपने प्रतिनिधि बनाए हैं तो वे इसके अनुसार ही अपना प्रतिनिधित्व का हक़ अदा कर रहे होंगे तथा यदि प्रतिनिधि अपना हक़ अदा नहीं कर रहे तो वे न केवल जमाअत के लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे होंगे बल्कि ख़लीफ़: ए वक्त के पास भी अपनी अमानत का हक़ अदा न करके विश्वासघात कर रहे होंगे।

शूरा का प्रतिनिधित्व एक वर्ष के लिए होता है जिसमें निज़ाम के साथ सहयोग करना है, फ़ैसलों पर स्वयं भी अमल करना है तथा करवाना भी है। सदैव यह निगरानी करें कि आपकी जमाअत में किस अवस्था में

खलीफ़: ए वक्त के निर्देशों के अनुसार कार्य हो रहा है। कई बार निर्णय ओहदेदारों की सुस्तियों का शिकार हो जाता है तथा उस तरह अमल नहीं होता जिस रंग में होना चाहिए। ऐसी अवस्था में सम्बंधित ओहदेदार तथा मर्कज़ को ध्यान दिलाएँ। इस दुनिया में बहाने बनाकर बच जाएँगे लेकिन अल्लाह तआला से कोई बात छुपी हुई नहीं, वह कर्तव्यों के विषय में पूछेगा। कुछ मेम्बरान उस समय मर्कज़ को बताते हैं जब किसी ओहदेदार से मतभेद हो जाता है, यह भी उचित नहीं है।

जमाअतों की ओर से कुछ सुझाव दोबारा भेजने का अर्थ यह है कि उनके अनुसार अमल नहीं हुआ। अतः ऐसी जमाअतों तथा ओहदेदारों को सोचना चाहिए कि क्या ये तक्वा पर चलने, अपने कर्तव्यों का हक़ अदा करने, खिलाफ़त का आज्ञा पालन करने तथा अपने वचन को निभाने का अमल है। देश के मर्कज़ को लाज आनी चाहिए कि हम इसके अनुसार कार्य न करवा सके किन्तु इस साल हम इस पर अमल करेंगे तथा यदि अमल न करवाएँ तो हम दोषी होंगे तथा उन लोगों में शामिल होंगे जो अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे तथा क्षमा चाहते हुए यह लिखना चाहिए कि हम इस साल इस सुझाव को पेश न करने की सिफ़ारिश करते हैं। इससे ओहदेदारों तथा प्रतिनिधियों को कम से कम यह आभास होगा कि वे बड़ी बड़ी कार्य-पद्यतियाँ बनाकर खलीफ़: ए वक्त को पेश करते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते तो वे दोषी हैं तथा खलीफ़: ए वक्त के विश्वास को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इस दृष्टि से जहाँ सामूहिक रूप में निरीक्षण एवं समीक्षा हो वहाँ व्यक्तिगत रूप में भी शूरा के प्रतिनिधि तथा ओहदेदार आत्म-निरीक्षण करें और इस्तिग़फ़ार कर तथा अमल न करने के कारण तलाश करें। अतएव ये निरीक्षण ही जमाअत के निज़ाम को उचित रास्ते पर चला सकते हैं अन्यथा ज़बानी बातें कोई लाभ नहीं दे सकतीं।

अपने क्रियात्मक नमूने, लोगों के साथ प्यार मुहब्बत का सम्बंध, उनका दर्द दिल में रखना, खलीफ़: वक्त के आज्ञा पालन के स्तर को उन्नति देना, हर एक ओहदेदार तथा शूरा के प्रतिनिधि का विशेष कृत होगा तो तभी एक इंकलाबी बदलाव सामूहिक रूप में जमाअत में होता देखेंगे। शूरा इस लिए आयोजित की जाती है कि जहाँ हम अपने कर्मों की हालतों को सुधारने के लिए योजनाएँ बनाएँ वहाँ खुदा-ए-वाहिद का सन्देश पहुंचाने के लिए और दुनिया को आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे लाने के लिए ऐसी योजना बनाएँ जो एक इंकलाब पैदा करने वाली हो।

हुज़ूर-ए-अनवर ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इरशाद की रोशनी में तक्वा पर चलते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करने की ओर ध्यान दिलाते हुए फ़रमाया कि अल्लाह तआला हम सबको तक्वा पर चलते हुए अपने कर्तव्य निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तआला हमारी ग़लतियों, त्रुटियों तथा दुर्बलताओं पर पर्दा डालते हुए हम पर सदैव अपनी कृपाएँ प्रदान करता चला जाए, आमीन।

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوْمِينٌ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَادْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يُسْتَجِبْ لَكُمْ وَلِذِكْرِ اللَّهِ الْكِبْرُ.

हिन्दी अनुवाद को अधिक सुन्दर बनाने हेतु सुझाव का स्वागत है, सम्पर्क करें-9781831652

टोल फ्री सम्पर्क अहमदिया मुस्लिम जमाअत क़ादियान-18001032131